भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं .617**

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

**बिहार में दुर्घटना-प्रवण स्थलों को खत्म करना**

617. श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में पिछले पांच वर्षों के दौरान सारण कमिश्नरी और विशेष रूप से सारण सहित राजमार्गों पर पहचाने गए और ऐसे स्थलों को दुर्घटना से रक्षित बनाए गए स्थलों की जिलेवार कुल संख्या क्या है, साथ ही क्षेत्र में दुर्घटना-प्रवण स्थल सुधार परियोजनाओं की जिलेवार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) बिहार में दुर्घटना-प्रवण स्थलों की पहचान करने और उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई;

(ग) क्या इस कार्य में तीव्रता लाने के लिए अतिरिक्त निधि स्वीकृत की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा दुर्घटना-प्रवण स्थलों पर दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों सहित दुर्घटनाओं की संभावना वाले क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) बिहार में दुर्घटना-प्रवण स्थलों (ब्लैक स्पॉट्स) के सुधार की वर्तमान स्थिति के बारे में जिलावार सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।

(ख) और (ग) सड़क दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट पर सुधार कार्यों के लिए अलग से कोई निधि आवंटित नहीं की जाती है, जिन्हें या तो चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यों के हिस्से के रूप में या एकल आधार पर निष्पादित किया जाता है। तथापि, बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए पिछले छह वर्षों के दौरान आवंटित धनराशि और व्यय का विवरण जिसमें सड़क दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट का सुधार भी शामिल है, निम्नानुसार है:

| वर्ष | आबंटन (करोड़ रूपये में) | व्यय (करोड़ रूपये में) |
|---|---:|---:|
| 2019-20 | 4,392 | 4,392 |
| **2020-21** | **6,716** | **6,716** |
| **2021-22** | **9,174** | **9,174** |
| **2022-23** | **9,347** | **9,347** |

| | | |
|---|---|---|
| **2023-24** | **10,749** | **10,749** |
| **2024-25 (दिसम्बर 2024 तक)** | **6,159** | **5,599** |

(घ) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ स्थानों को दुर्घटनाओं की निश्चित संख्या के आधार पर ब्लैक स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें मृत्यु और गंभीर चोटें शामिल हैं। सरकार ने ऐसे ब्लैक स्पॉट्स पर तत्काल अल्पकालिक उपाय करने के लिए कदम उठाए हैं, जैसे कि सड़क चिह्नांकन, संकेतक, क्रैश बैरियर, सड़क स्टड, डिलीनेटर्स, अनधिकृत मध्य उद्घाटन को बंद करना, यातायात कम करने के उपाय आदि। स्थायी सुधार उपायों के रूप में साइट जांच के अनुसार ऐसे ब्लैक स्पॉट्स पर सड़क ज्यामितीय सुधार, जंक्शन सुधार, कैरिजवे का स्पॉट का चौड़ीकरण, अंडरपास / ओवरपास आदि का निर्माण जैसे दीर्घकालिक उपाय भी किए जाते हैं।

******